रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277668
CG-DL-E-04112026-277668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5784] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No. 5784] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2026

आयकर

का.आ. 6016(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) की अनुसूची VI [तालिका: क्र.सं. 11] के साथ पठित धारा 400(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्दिष्ट करती है कि किसी ऐसी कम्पनी (एतश्मिन पश्चात भुगतान प्राप्तकर्त्ता के रूप में सन्दर्भित) जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई हो और मुख्य रूप से एअर क्राफ्ट्स के पट्टे पर देने के व्यवसाय में संलग्न है, को किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई (एतश्मिन पश्चात भुगतान प्राप्तकर्त्ता के रूप में सन्दर्भित), जो कि मुख्यतः एअर क्राफ्ट्स को पट्टे पर देने के व्यवसाय में संलग्न है, के द्वारा लाभांश के रूप में किए गए भुगतान से होने वाली आय पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए (इस अधिनियम की धारा 393 (1) [तालिका: क्र.सं. 7] के तहत किसी प्रकार का कर कटौती नहीं की जाएगी यथाः-

1. (1) भुगतानकर्ता-

(क) इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 1 (एन) (इसके बाद उक्त प्रपत्र के रूप में संदर्भित) में भुगतानकर्ता को उस कर वर्ष का विवरण देते हुए एक विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त अधिनियम की अनुसूची VI [तालिका: क्र.सं. 11] के तहत छूट के लिए पात्र लाभांश आय देय है; और

(ख) इस तरह के विवरण-सह-घोषणा को उस कर वर्ष के लिए उक्त प्रपत्र में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा जिसमें उक्त अधिनियम की अनुसूची VI [तालिका: क्र.सं. 11] के तहत छूट के लिए पात्र लाभांश आय देय है;

(2) भुगतानकर्ता-

(क) भुगतानकर्त्ता से उक्त प्रपत्र में विवरण-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तारीख के बाद ऐसे लाभांश (आदाता) के प्राप्तकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर कर की कटौती नहीं करेगा; तथा

(ख) आयकर नियम, 2026 के नियम 219 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 397(3)(ख) में निर्दिष्ट कर की कटौती के विवरण में इस अधिसूचना के मद्देनजर ऐसे लाभांश के प्राप्तकर्ता को किए गए सभी भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है।

2. आयकर के प्रधान महानिदेशक (सिस्टम्स) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम्स), जैसा भी मामला हो, डेटा के सुरक्षित कैप्चर और प्रसारण और दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्धारित करेंगे और उनपर उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने की भी जिम्मेदारी होगी।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, -

(क) "एअर क्राफ्ट्स" का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची VI के नोट 3 में इसे दिया गया है;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड में दिया गया है; तथा

(ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के खंड 2 (जेडसी) में दिया गया है।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 से लागू मानी जाएगी।

प्रपत्र संख्या 1 (एन)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई (भुगतानकर्ता) में स्थित विमान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (भुगतानकर्ता) की एक इकाई को पट्टे पर देने के व्यवसाय करने वाली इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरण-सह-घोषणा

भाग-क		
1.	**नाम**	*(नोट 1 देखें)*
2.	**पैन**	
3.	**आईएफएससी में स्थित इकाई का नाम**	*(नोट 1 देखें)*

4.	**आईएफएससी में स्थित इकाई का पता**	*(नोट 2 देखें)*	
5.	**संपर्क नंबर**	देश कोड	नंबर
6.	**ईमेल आईडी**		
7.	**कर वर्ष**	*YYYY-YY*	

विवरण-सह-घोषणा

मैं (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका पैन नं. है, की हैसियत से (आदाता का नाम), एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त इकाई एअर क्राफ्ट को पट्टे पर देने के व्यवसाय में है और इसकी लाभांश आय आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की अनुसूची VI [तालिका: क्र. सं. 11] के तहत छूट के लिए पात्र है।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में काम करने वाली इकाई बनी हुई है और कर वर्ष..... के दौरान एअर क्राफ्ट को पट्टे पर देने के व्यवसाय में है, जिसमें यह विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है।

सत्यापन

मैं…….....(नाम)..... की हैसियत से (आदाता का नाम), एतद्वारा, प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान: घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक: नाम:

पदनाम:

[आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 265 में प्रदान की गई आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है]।

नोट 1: पूरा नाम:

नोट 2: पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला, (viii) राज्य शामिल होंगे

नोट 3: फॉर्म में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होंगी।

[अधिसूचना सं. 141/2026/फा. सं. 275/17/2026-आईटी(बी)]

राजेंद्र कुमार मीना, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2026

INCOME TAX

S.O. 6016(E).— In exercise of the powers conferred by section 400(1) read with Schedule VI [Table: S.No. 11] of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under section 393(1)[Table: S.No. 7] of the said Act from any income in the nature of dividend paid by any unit of an International Financial Services Centre, primarily engaged in the business of leasing of an aircraft (hereinafter referred to as the payer) to a company, being a Unit of an International Financial Services Centre primarily engaged in the business of leasing of an aircraft (hereinafter referred to as the payee) subject to the following, namely:-

1. (1) The payee shall,—

(a) furnish a statement-cum-declaration in the Form No.1(N) annexed to this notification (hereinafter referred to as the said Form) to the payer giving details of the tax year in which the dividend income eligible for exemption under Schedule VI [Table: S.No. 11] of the said Act is payable; and

(b) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner specified in the said Form for the tax year in which the dividend income eligible for exemption under Schedule VI [Table: S.No. 11] of the said Act is payable;

(2) The payer shall,—

(a) not deduct tax on payment made or credited to the recipient of such dividend (payee) after the date of receipt of copy of statement-cum-declaration in the said Form from payee; and

(b) furnish the particulars of all the payments made to the recipient of such dividend on which tax has not been deducted in view of this Notification in the statement of deduction of tax referred to in section 397(3)(b) of the said Act, read with the rule 219 of the Income-tax Rules, 2026.

2. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and they shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

Explanation.— For the purpose of this notification,—

(a) "aircraft" shall have the same meaning as assigned to it in Note 3 of Schedule VI to the said Act;
(b) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and
(c) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause 2(zc) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

3. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2026.

FORM NO. 1(N)

Statement-cum-Declaration to be furnished by a Unit engaged in the business of leasing of aircraft (payee) located in International Financial Services Centre to a Unit of International Financial Services Centre (payer)

PART-A			
1.	**Name**	*(refer Note 1)*	
2.	**PAN**		
3.	**Name of the unit located in IFSC**	*(refer Note 1)*	
4.	**Address of the unit located in IFSC**	*(refer Note 2)*	
5.	**Contact number**	Country Code	Number
6.	**Email ID**		
7.	**Tax year**	*YYYY-YY*	

Statement-cum-Declaration

I(name of the declarant) having Permanent Account Number …… in capacity as of ……..(name of the payee), do hereby declare that the above-mentioned Unit is engaged in the business of leasing of aircraft and its dividend income is eligible for exemption under Schedule VI [Table: S. No. 11] of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).

I further declare that the above mentioned Unit continues to be a unit working in International Financial Services Centre and continues to be engaged in the business of leasing of aircraft during the tax year…….. in which this statement-cum-declaration is being submitted.

Verification

I……. in capacity as……. of ……..(name of the payee) do hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: Signature of the declarant
Date: Name:
Designation:

[to be signed by a person competent to sign the return of income as provided in section 265 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)].

Note 1: The name shall be provided in full.

Note 2:The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, (viii) State

Note 3: Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

[Notification No. 141/2026/F. No. 275/17/2026-IT(B)]

RAJENDRA KUMAR MEENA, Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA